

6.9.19

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी पीटिंग में/भ्रमण/
अवकाश पर गये हुए हैं। पत्रावली उनके समक्ष
दिनांक... 11.9.19 को प्रस्तुत हो ॥

11.9.19

वकील प्रार्थी उपर

प्रतिवादी सं. 3 के वकील ने एक आवेदन अर्थात्
151, 152 CPC का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व
वाद संख्या 50/96 निर्णय दि. 22.12.03 ब अनुवान जखर सिंह
पुत्र भूपर सिंह वगैरह में प्रतिवादी संख्या 3 चांद डेवर के पति
का नाम उगम सिंह गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम
चांद डेवर पत्नी फतेह सिंह है। निर्णय व डिक्री के अनुसार
शीर्षक में प्रतिवादी संख्या चांद डेवर बेवा उगम सिंह के
स्थान पर चांद डेवर बेवा फतेह सिंह पुरुष करतें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवेदन पर
प्रतिवादी वकील को सुना गया। वाद संख्या 50/96
का अवलोकन किया गया। वाद के शीर्षक में प्रतिवादी
संख्या 3 चांद डेवर पति उगम सिंह दर्ज है इसी अनुसार
निर्णय व डिक्री पारित की गई थी। प्रतिवादी वकील ने
यह स्पष्ट नहीं किया कि वाद के शीर्षक में प्रतिवादी
संख्या 3 चांद डेवर पत्नी उगम सिंह कैसे दर्ज हुआ। अतः
प्रतिवादी संख्या 3 का प्रार्थना पर अर्थात् धारा 151, 152
CPC का खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर के
कम होकर टाखिल दफ्तर हो।


हामिद कपूर (P.)
[Red Stamp]